भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5853

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और ट्रैकिंग मार्गों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या का विनियमन

†5853. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या की वहन क्षमता या अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए किसी नीति पर विचार किया है या इसे कार्यान्वित किया है;

(ख) ऐसी सीमाओं और वैज्ञानिक अध्ययनों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मानदण्ड, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है और इन्हें अब तक किन-किन क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है;

(ग) क्या ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन और ट्रैकिंग के कारण पर्यावरणीय क्षरण, कचरा पैदा होने और वन्यजीवों के लिए अशांति के मामलों की सूचना मिली है;

(घ) पर्यटकों के आगमन को विनियमित करने और पर्यटन की संधारणीय पद्धतियों को लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकारों और वन प्राधिकारियों के बीच स्थापित समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि स्थानीय आजीविका की रक्षा करते हुए पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील और ट्रैकिंग क्षेत्रों में पर्यटन को पर्यावरणीय रूप से संधारणीय बनाया जा सके?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन स्थलों का विकास, संवर्धन और रखरखाव मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह केंद्रीय वित्तीय सहायता दिशानिर्देशों के अनुरूप और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर दी जाती है।

पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना (एसडी 2.0) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वहन क्षमता सहित विभिन्न मदों के संबंध में बेंचमार्किंग और कमियों के विश्लेषण पर बल देता है। पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य मास्टर प्लान, रणनीति और कार्य योजना के लिए एक टेम्पलेट भी राज्य सरकारों को परिचालित किया है, जिसमें गंतव्य की वहन क्षमता का आकलन करने और वहन क्षमता के प्रबंधन पर मार्गदर्शन शामिल है। उक्त विधि उन आगंतुकों की संख्या के संदर्भ में गंतव्य की भौतिक वहन क्षमता का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन करती है, जिन्हें एक निर्धारित सीमाक्षेत्र में एक निश्चित समयावधि के लिए पर्यटन की अनुमति दी जाती है। यह आगे यह भी सलाह देता है कि गंतव्य के लिए इन कारकों के महत्व और गंभीरता के आधार पर गंतव्य की पर्यटन वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले अन्य प्राकृतिक और/या मानव निर्मित कारकों पर विचार किया जाए। इन कारकों में भारी वर्षा वाले दिन, भारी बर्फबारी वाले दिन आदि जैसे कारक शामिल हो सकते हैं। आगंतुकों की संख्या में परिवर्तन, पर्यावरणीय परिस्थितियों और स्थानीय समुदाय की जरूरतों के आधार पर मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन गंतव्य की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है, ताकि पर्यावरण, संसाधनों को खराब किए बिना और दीर्घकालिक पर्यटन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आगंतुकों को स्थायी रूप से और सुरक्षित रूप से समायोजित करने की गंतव्य की क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

यह योजना विभिन्न परियोजनाओं और पहलों में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन संबंधी कार्य पद्धतियों के कार्यान्वयन पर फोकस करती है और रोजगार सृजन सहित पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिरता और आर्थिक स्थिरता जैसे सतत पर्यटन सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

*****